

महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय (962) में संचालित बालवाटिका हेतु

कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम दिशा-निर्देश 2025-26

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को स्कूल शिक्षा का बुनियादी स्तर (पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 3 वर्ष एवं ग्रेड 1 व 2) माना गया है। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों को दी गई शिक्षा ना केवल उनके भावी जीवन की नींव होगी बल्कि भावी समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा को समाज के सहयोग से ही पूर्ण किया जा सकता है। इसे सहज बनाने हेतु समुदाय की सहभागिता एवं सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय (962) में संचालित पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत् बालकों की श्रेष्ठ शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सामुदायिक सहभागिता को प्रभावी बनाने के लिए समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में "कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम" गतिविधि (प्रति बालवाटिका 3000/- X 10 माह = 30000/-) अनुमोदित की गयी है। उक्त राशि प्रति बालवाटिका के आधार पर जिलों को जारी की जानी है।

कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत समस्त बालकों के अभिभावकों को विद्यालय से जोड़ने, सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए 10 (प्रति माह) मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन सत्र 2025-26 में किया जाना है। अभिभावकों/समुदाय की सहभागिता सक्रिय रूप से बनी रहे इस हेतु थीम आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाए। गतिविधि आयोजन हेतु सामग्री क्रय, अल्पाहार, प्रचार-प्रसार, पुरस्कार सामग्री आदि के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं-

सत्र के आरम्भ में (एक बार) सामग्री हेतु आवर्ती व्यय प्रावधान

क्र. सं.	सामग्री	सामग्री का विवरण	अनुमानित व्यय (रूपए में)	आउटकम
1	पलेक्स	नामांकन एवं प्रवेश से संबंधित (साइज 4x2 फीट)	400/-	<ul style="list-style-type: none"> समुदाय नामांकन हेतु प्रोत्साहित होगा। विद्यालय गतिविधियों का प्रचार-प्रसार।
2		अध्ययनरत्/नामांकित बालकों का फोटो युक्त विवरण (साइज 4x6 फीट)	400/-	<ul style="list-style-type: none"> बाल वाटिका के समस्त बालकों की जानकारी एक ही पटल पर उपलब्ध होगी। आगन्तुक एवं अभिभावकों के लिए समेकित जानकारी।
3	परिचय पत्र	प्रत्येक बच्चे का रंगीन फोटो युक्त परिचय पत्र	(नामांकन के अनुसार) 1200/-	<ul style="list-style-type: none"> समुदाय में विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। बालकों का विद्यालय के प्रति जुड़ाव होगा।
4	स्टेण्ड्रीज	कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम सामुदायिक जागरूकता स्टेण्ड्रीज फ्रेम सहित (साइज 4x2 फीट)	1500/-	<ul style="list-style-type: none"> विद्यालय में सत्र पर्यन्त आयोजित गतिविधियों की अभिभावकों को जानकारी उपलब्ध रहेगी।
5	बैनर	कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के साथ विद्यालय का नाम	500/-	<ul style="list-style-type: none"> कार्यक्रम की जानकारी हो सकेगी।
कुल व्यय			4000/-	

प्रति माह – आवर्ती व्यय (10 माह X 2600/- रुपये)

क्र. सं.	सामग्री	सामग्री का विवरण	मात्रा	इकाई व्यय	अनुमानित व्यय (रूपए में)	आउटकम
1	शिक्षण अधिगम सामग्री	पोस्टर कलर, पेंसिल कलर, मार्कर, स्कैच, क्रयोन्स, ड्राईंग शीट्स शैक्षणिक पोस्टर, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल आदि का उपयोग बच्चे अपने-अपने अभिभावक के साथ गतिविधि में करेंगे।	प्रत्येक अभिभावक एवं बच्चा	-	गतिविधियों के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार 5000/-	अभिभावक एवं बालकों की सक्रियता में वृद्धि हो सकेगी।
2	मासिक बैठक	प्रति माह आयोजित बैठक में अल्पाहार उपलब्धतानुसार	प्रत्येक अभिभावक को प्रति बैठक	-	1100 x 10 माह = 11000	अभिभावकों की कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम में सहभागिता में वृद्धि होगी। पोर्टफोलियो पर चर्चा की जायेगी।
3	पुरस्कार	उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी/अभिभावक को पुरस्कृत करना। (मोमेंटो/बालकों के उपयोगी अन्य सामग्री)	सहभागिता दर्शाने वाले अभिभावक एवं विद्यार्थी	50	50/- x 4 पुरस्कार x 10 माह = 2000 (न्यूनतम 4 पुरस्कार प्रदान किये जाये)	अभिभावक व बालकों का उत्साहवर्धन होगा।
4	जन्म दिवस का आयोजन	बालवाटिका में अध्ययनरत बच्चों का जन्मदिन उत्सव आयोजन (आयोज्य माह में आने वाले सभी बालकों का जन्मदिन)	आयोज्य माह में आने वाले बच्चों का जन्मदिन	400/-	400 प्रति बैठक x 10 = 4000 वार्षिक	विद्यालय, बालकों एवं अभिभावकों के अन्तर संबंध में वृद्धि होगी। बालकों का उत्साहवर्धन होगा।
5	मदर्स कॉम्पिटिशन	स्थानीय प्रचलित (संगीत, कला एवं खेल) प्रतिस्पर्धा का आयोजन	प्रति माह	300/-	300/- x 10 = 3000 वार्षिक	अभिभावकों की भगीदारी में वृद्धि हो सकेगी।
6	फोटो	प्रत्येक माह की बैठक की फोटो का प्रिन्ट लेना	न्यूनतम 3	-	50/- x 10 प्रति बैठक = 500	प्रत्येक माह की बैठक प्रतिवेदन को प्रभावी बनाने में उपयोग
7	विविध व्यय	कार्यक्रम आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार सामग्री	प्रति माह 50 रुपये	500/-	500/-	-
कुल व्यय					26000/-	

प्रस्तावित गतिविधियाँ :- उक्त गतिविधियों का आयोजन समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 में अनुमोदित बजट प्रावधान एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार किया जाना है। यह प्रारूपित गतिविधियाँ हैं। ईसीसीई के मानदंडानुसार उक्त गतिविधियों के अलावा स्थानीय परिवेश की विशेषताओं के अनुसार अन्य गतिविधियों का भी चयन करते हुए सम्पादन किया जाए।

1. बालकों का जन्मदिवस आयोजन :-

प्रत्येक बच्चे को अपना और उसके अभिभावकों को अपने बालकों का जन्मदिवस उत्सव आयोजन करना आनन्ददायक लगता है इसलिए एक अभिनव पहल के तौर पर प्रत्येक बालवाटिका में अध्ययनरत बालकों का जन्मदिन मनाया जाना है। यह आयोजन जन्मदिन वाले महिने की मासिक बैठक में किया जाना है। इस उत्सव में प्रत्येक माह की मासिक बैठक में रंगीन झालर आदि से बालवाटिका को सजाया जाये। जन्मदिवस वाले बच्चों का तिलक और माला से स्वागत-सत्कार किया जाये। जन्मदिन संबंधी गीत व कविता आदि बोलकर तालियों की गूँज के साथ आयोजन किया जाये। जन्मदिन वाले बच्चों को उपहार/पुरस्कार प्रदान किया जाए। उपस्थित समस्त बाल वाटिका के बालकों को मिठाई तथा फल का वितरण किया जाये।

2. **मदर्स कॉम्पिटिशन** – स्कूली शिक्षा में बुनियादी स्तर के मध्येनजर ईसीसीई के दिशानिर्देशानुसार अभिभावकों की सहभागिता में वृद्धि की जाने वाली गतिविधियां आयोजित की जाए जैसे– स्थानीय भाषा में गीत–संगीत, नृत्य, कला से संबंधित गतिविधि, इंडोर गेम आदि।

आयोज्य गतिविधियां :—निम्न सारणी अनुसार वार्षिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना है।

माह का नाम	विकास के आयाम	प्रस्तावित गतिविधि
जुलाई ए वं दिसम्बर	भाषा विकास	<ul style="list-style-type: none"> अभिभावकों द्वारा स्थानीय भाषा में कहानी, प्रसंग, संस्मरण सुनाना। स्थानीय भाषा में कविता, लोकगीत सुनाना। अपने जीवन की प्रेरणादायी घटना/संस्मरण सुनाना। विविध प्रकार की ध्वनियों को सुनकर पहचानना। दिखाये गये चित्रों पर बातचीत करना।
अगस्त एवं जनवरी	सामाजिक ए वं नैतिक विकास	<ul style="list-style-type: none"> सामुहिक खेलों का आयोजन करवाना। अभिभावकों के समूह से कार्य करवाना एवं बालकों को नेतृत्व करवाना। सामाजिक कार्य/आयोजनों के अनुभव साझा करना। हाथ एवं पैर में रिबन बांधते हुए प्रतियोगिता आयोजित करवाना। सुरक्षा एवं विश्वास की भावना के अनुभव साझा करना। अभिभावक, बालकों की अच्छी आदतों के बारे में चर्चा करना। बालकों के व्यवहार में अच्छी आदतों की पहचान करना। बंधुत्व एवं भाईचारे की भावना का विकास।
सितम्बर एवं फरवरी	बौद्धिक विकास	<ul style="list-style-type: none"> सामग्री/चित्र दिखाकर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करना। सामग्री को छूकर पहचानना एवं नाम बताने की खेल गतिविधि। टेन ग्राम/पजल/गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना। टेजर हंट वर्ग पहेली, ब्लॉक युक्त मानसिक एवं तार्किक गेम की प्रतियोगिता। गुड टच–बेड टच की जानकारी देना।
अक्टूबर एवं मार्च	शारीरिक विकास	<ul style="list-style-type: none"> बाधा दौड़, निशाना लगाना, बॉल डालना, चम्मच दौड़, सतोलिया, म्यूजिकल चैयर से संबंधित खेल गतिविधि। चित्र कला प्रतियोगिता, सुई में धागा/मोती पिरोना, रस्सी/सीधी लाईन पर चलना, बॉल/गिलास सिर पर रखकर दौड़ना। स्थानीय प्रवेश के अनुसार विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन।
नवम्बर एवं अप्रैल	सृजनात्मक विकास	<ul style="list-style-type: none"> अभिभावकों के साथ अभिनय करना। रोल परिवर्तन करते हुए गतिविधि का आयोजन। क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करना। रंगोली एवं दीवार पर चित्र बनाना।

नोट :-

- उपरोक्त वर्णित गतिविधिया सुझावात्मक है। इनके अतिरिक्त स्थानीय प्रवेश के अनुसार शिक्षक अन्य गतिविधियों का भी नियोजन कर सकते है।
- उपरोक्त सभी गतिविधियां बालकों एवं दादा-दादी / नाना-नानी / माता-पिता को आवश्यक रूप से सम्मिलित करते हुए आयोजित की जानी है। गतिविधि आयोजन के फोटोग्राफ लेकर प्रतिवेदन तैयार कर पत्रावली संधारित की जाए।
- आयोजित गतिविधियों में सहभागिता दर्शाने वाले अभिभावकों एवं बालकों को पुरस्कार प्रदान किये जाए, जो उनके अभिप्रेरण में वृद्धि करेगे।

3. **परिचय पत्र :-** बालवाटिका के सभी प्रवेशित बालकों के रंगीन फोटो युक्त परिचय पत्र बनाये जाने है। यह परिचय पत्र अच्छी गुणवत्ता के पीवीसी / मोटे प्लास्टिक में तथा गले में लटकाये जाने योग्य फीते या डोरी से युक्त हो। इस परिचय पत्र में निम्न लिखित सूचनाएं होनी चाहिए :-

राजकीय महात्मा गांधी

सत्र 2025-26

विद्यार्थी का नाम	कक्षा	जन्म दिनांक	एसआर नम्बर	फोटो	पिता का नाम एवं मोबाइल नम्बर	संस्थाप्रधान का नाम एवं मोबाइल नम्बर	घर का पता

4. **फ्लैक्स (प्रचार-प्रसार सामग्री) :-**

1. प्रभारी शिक्षक सत्र के आरम्भ में संस्थाप्रधान के मार्गदर्शन में समुदाय एवं विद्यालय परिक्षेत्र में प्रवेश हेतु फ्लैक्स से संबंधित सामग्री तैयार करवाकर उन्हे उचित स्थानों पर लगवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
2. नामांकन एवं प्रवेश से संबंधित फ्लैक्स विद्यालय के मुख्य दरवाजे के आस-पास या गांव के मुख्य स्थान / चौपाल / पंचायत घर / बस स्टैण्ड आदि में से किसी उचित स्थान पर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
3. अध्यनरत / नामांकित बालकों का फोटोयुक्त फ्लैक्स निम्नानुसार प्रदर्शित / डिस्प्ले किया जायेगा :-

राजकीय महात्मा गांधी

सत्र 2025-26

क्र.सं.	बालक का फोटो	नाम	पिता का नाम	जन्मदिवस

इस फ्लैक्स को विद्यालय के ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाये जहां बालवाटिकाओं की कक्षाएं संचालित होती है।

4. सामुदायिक जागरूकता के लिए बनायी गई स्टेण्ड्रीज को ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाये जहां सहजता से अभिभावक तथा बालकों द्वारा अवलोकन किया जा सके।

5. अल्पाहार :-

प्रत्येक माह में आयोजित की जाने वाली बैठक में सभी अभिभावकों का विद्यालय से जुड़ाव हो सके तथा विद्यालय की ओर से अभिभावकों का आतिथ्य किया जा सके। इस हेतु उन्हें बैठक में गुणवत्ता एवं विविधता युक्त अल्पाहार दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अल्पाहार में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसम के अनुकूल सामग्री उपलब्ध करायी जाए।

हमारे दायित्व :-

जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में :-

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार राशि के उपयोग हेतु समय पर लिमिट जारी कराना।
2. ब्लॉक एवं विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. जिला, ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
4. जिले के समस्त विद्यालयों में कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम हेतु तिथियों का निर्धारण करना एवं कार्यक्रम का आयोजन कराना।
5. जिला अधिकारियों द्वारा समुदाय सहभागिता के कार्यक्रम में सम्बलन प्रदान करना।
6. प्रत्येक आयोजन के पश्चात् जिले का समग्र प्रतिवेदन पूर्व प्राथमिक प्रकोष्ठ, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित करना।

ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के रूप में :-

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार राशि के उपयोग हेतु समय पर लिमिट जारी कराना।
2. कलस्टर एवं विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
4. ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम हेतु तिथियों का निर्धारण करना एवं कार्यक्रम का आयोजन कराना।
5. जिला, ब्लॉक अधिकारियों द्वारा समुदाय सहभागिता के कार्यक्रम में सम्बलन प्रदान करना।
6. प्रत्येक आयोजन के पश्चात् ब्लॉक का समग्र प्रतिवेदन जिला समग्र शिक्षा कार्यालय को प्रेषित करना।

कलस्टर स्तरीय अधिकारी एवं संस्थाप्रधान के रूप में :-

1. समग्र शिक्षा की कार्ययोजना के नियमानुसार राशि के उपयोग हेतु समय पर गतिविधियों का आयोजन कराना।
2. परिक्षेत्र के विद्यालयों तक दिशानिर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. कलस्टर स्तर पर नियमित रूप से बैठकों के दौरान गतिविधि की समीक्षा की जाए।
4. निर्देशानुसार कलस्टर के समस्त विद्यालयों में कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन कराना।
5. परिक्षेत्र के विद्यालयों में समुदाय सहभागिता के कार्यक्रम में सम्बलन प्रदान करना।
6. प्रत्येक आयोजन के पश्चात् कलस्टर का समग्र प्रतिवेदन ब्लॉक, समग्र शिक्षा कार्यालय को प्रेषित करना।

प्रभारी शिक्षक/संस्थाप्रधान के रूप में :-

1. कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम आयोजन से पूर्व अभिभावकों को आमंत्रण पत्र प्रेषित करते हुए सभी अभिभावकों की उपस्थिति हेतु प्रयास करना।
2. थीम आधारित गतिविधियों का निर्धारण एवं आयोजन कराना।
3. संस्था प्रधान के साथ समन्वय कर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। उपयोग एवं वितरण की जाने वाली सामग्री का लेखा निर्धारित पंजिका में संधारित करना।
4. कार्यक्रम में सहभागिता एवं विजेता विद्यार्थी, अभिभावकों को पुरस्कार प्रदान कराना।
5. समस्त गतिविधियों के दस्तावेजीकरण, प्रतिवेदन बनाकर उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना।

फोटो एवं दस्तावेजीकरण :-

1. प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठक की फोटो इस प्रकार ली जाये कि फोटो में बैठक आयोजन की तिथि दिखाई दे इसके लिए पृष्ठभूमि में हरितपट्ट या श्यामपट्ट पर बैठक की दिनांक अंकित की जाए।
2. एक फोटो इस तरह से लिया जाये कि उपस्थित समस्त अभिभावकों की गणना सुनिश्चित हो सके।
3. प्रत्येक बैठक की फोटो का प्रिंट प्रतिवेदन के साथ संलग्न हो।
4. प्रत्येक बैठक में सहभागिता दर्शाने वाले अभिभावकों की उपस्थिति दर्ज की जाए।
5. वितरित की जाने वाले समस्त सामग्री का विवरण पंजिका में अंकित किया जाए।

विशेष :-

- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जावे।
 - व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में राशि प्राप्ति के 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 - कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH Portal (<https://samagrashiksha.in>) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
 - राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
 - सामग्री का क्रय राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार कर, स्थायी-अस्थायी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करवाकर सामग्री का सदुपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- गतिविधि पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र **E-mail: primarypre@yahoo.com** पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(अनुपमा जोरवाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्कूलशिप-जयपुर।
3. निदेशक, प्राशि, राजस्थान-बीकानेर।
4. निदेशक, माशि, राजस्थान-बीकानेर।
5. अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, राजस्कूलशिप, जयपुर।
7. उपायुक्त-प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
8. उपायुक्त-योजना, राजस्कूलशिप, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
10. उपनिदेशक-शाला दर्पण, राजस्कूलशिप, जयपुर को प्रति भेजकर लेख है कि उक्त दिशा-निर्देश शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया जाना सुनिश्चित करावें।
11. जिला प्रभारी (ओआईसी) समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि प्रभारित जिले में गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए गतिविधि का सम्पादन कराये।
12. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक - समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
14. संस्थाप्रधान - संबंधित विद्यालय।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रारूप-1

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक

क्रमांक

दिनांक

उपयोगिता प्रमाण-पत्र (जिला स्तर)

बालवाटिका विद्यालय हेतु कम्यूनिटी कनेक्ट प्रोग्राम

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	चयनित विद्यालयों की संख्या	प्राप्त लिमिट (राशि)	कम्यूनिटी कनेक्ट प्रोग्राम गतिविधि आयोजित करने वाले विद्यालयों की संख्या	कम्यूनिटी कनेक्ट प्रोग्राम गतिविधि आयोजित नहीं करने वाले विद्यालयों की संख्या	व्यय राशि	शेष राशि	शेष का कारण
1									

हस्ताक्षर प्रभारी

हस्ताक्षर एडीपीसी

उक्त प्रपत्र गतिविधि पूर्ण होने पर जिला स्तर से समेकित कर राज्य स्तर को E-mail: primarypre@yahoo.com पर प्रेषित किया जाये।

Community connect program District wise count (962 MGGS)		
S.No.	District	No. of School
2	ALWAR	23
3	BALOTARA	10
4	BANSWARA	30
5	BARAN	19
6	BARMER	8
7	BEAWAR	14
8	BHARATPUR	16
9	BHILWARA	17
10	BIKANER	51
11	BUNDI	15
12	CHITTAURGARH	28
13	CHURU	54
14	DAUSA	25
15	DEEG	16
16	DHAULPUR	17
17	DIDWANA-KUCHAMAN	18
18	DUNGARPUR	33
19	GANGANAGAR	15
20	HANUMANGARH	24
21	JAIPUR	116
22	JAISALMER	7
23	JALOR	13
24	JHALAWAR	8
25	JHUNJHUNU	46
26	JODHPUR	22
27	KARALI	25
28	KHAIRTHAL-TIJARA	11
29	KOTA	20
30	KOTPUTLI-BEHROR	28
31	NAGPUR	14
32	PALI	20
33	PHALODI	7
34	PRATAPGARH (RAJ.)	18
35	RAJSAMAND	13
36	SALUMBAR	6
37	SAWAI MADHOPUR	11
38	SIKAR	60
39	SIROHI	17
40	TONK	10
41	UDAIPUR	30
Grand Total		962